फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

वादी–शिवसिंह व अन्य

प्रतिवादी–जादोराम व अन्य

केस संख्या : 58/2016

वाद तुडवाये जाने अनाधिकृत निर्माण व स्थायी निषेधाज्ञा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.05.2017	:–निर्णयः– आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी उप0। पक्षकारान स्वयं उप0। वकील पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादीगण खसरा नंबर 4027 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा ग्राम फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। आराजीयात की पश्चिमी दिशा में खसरा नंबर 4026 रकबा 07 बिस्वा आराजीयात भी वादीगण के कब्जेकाश्त की भूमि है। खसरा नंबर 4026 में से पूर्व में वादीगण के पिता ने 4X5 गट्टा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को मकान निर्माण हेतु विक्रय की थी, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 क्रयशुदा भूमि से अधिक खसरा नंबर 4027 की ओर बढ़कर जबरन निर्माण कर लिया है जो गैरकानूनी है जिसे तुडवाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने बताया कि वह मौके पर जो मकान बना हुआ है उसी पर काबिज रहेगा, आगे वादी की आराजीयात पर निर्माण नहीं करेगा। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, जवाबदावा इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी वादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने मौके पर जो मकान बना हुआ है उसी पर काबिज रहने एवं वादी की आराजीयात पर निर्माण नहीं करने बाबत अपनी सहमति प्रकट की है। न्यायहित में वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह अपने मौके पर बने हुये मकान पर ही काबिज रहे, वादी की आराजीयात पर कब्जा, निर्माण ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 29.05.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया। (सावन कुमार चायल) उपखण्ड अधिकारी फागी	

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला–जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

शिवसिंह व अन्य

बनाम

जादोराम व अन्य

::– वाद तुडवाये जाने अनाधिकृत निर्माण व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 58/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह अपने मौके पर बने हुये मकान पर ही काबिज रहे, वादी की आराजीयात पर कब्जा, निर्माण ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे।

निज..................मुबलिग..बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह..फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.05.2017 को जारी की गई।

दस्तखत................

मुहर

ओहदा................

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	निल		बबत इजराय हुक्मनामा	निल	
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)